न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 206/2012/(2012/00037) जिला–नागौर

1. जमना देवी पुत्री हजारी पत्नी जगराम पुत्र रामसुख जाति जाट निवासी पीपलिया हाल थाबड़िया तहसील खींवसर जिला नागौर।
2. हवादेवी पुत्री हजारी पत्नी किशनाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवसी पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
3. नैनी पुत्री हजारी पत्नी कुम्भाराम पुत्र रेवतराम जाति जाट निवासी पीपलिया हाल खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।
4. केशु पुत्री हजारी पत्नी भोमाराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी पीपलिया हाल खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।
5. गेरा पुत्री हजारी पत्नी जयराम पुत्र रेवतराम जाति जाट निवासी पीपलिया हाल खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. नोजी पत्नी हजारी जाति जाट निवासी पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
2. धापू पुत्री हजारी पत्नी पीराराम पुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी पीपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर।
3. तहसीलदार, खींवसर।
4. गणेशाराम पुत्र पीराराम, जाति जाट निवासी खींवसर हाल सावों की ढाणी तहसील खींवसर जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 03–10–2012
अन्तर्गत अपील संख्या 60/2012
बउनवान जमना देवी वगैरह बनाम नोजी वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री गिरीश पारीक अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1, 2,4

निर्णय

दिनांकः– 27.12.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम सावों की ढाणी में खसरा नम्बर 1692 रकबा 61 बीघा 11 बिस्वा मूल खातेदार हजारी पुत्र करणा की खातेदारी की आराजियात थी। हजारी का देहान्त 1998 में होने पर उनके उत्तराधिकारी श्रीमती नोजी देवी पत्नी हजारी व 6 पुत्रियां जमना देवी, धापू देवी, हवा देवी, नैनी देवी, केसी व गोरा थी परन्तु मूल खातेदार हजारी के देहान्त के बाद नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 24–8–1998 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती नोजी पत्नी हजारी के नाम तहसीलदार खींवसर द्वारा तस्दीक कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने सरसरी तौर पर अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3–10–2012 द्वारा अपील निरस्त कर दी। जिला कलक्टर, नागौर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार हजारीराम का देहान्त 1998 में हो गया था जिसके पीछे उसकी पत्नी एवं 6 पुत्रियां जीवित थी परन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती नोजी पत्नी हजारी राम ने तहसीलदार, खींवसर से मिलकर भूमि का नामान्तरकरण अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि मृतक हजारी राम के 6 पुत्रियां भी जीवित थी। हजारी राम ने अपने जीवनकाल में किसी के पक्ष में कोई वसीयत या बख्शीश नहीं की थी इसलिए हजारीराम के देहान्त के पश्चात सम्पूर्ण भूमि में श्रीमती नोजी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के साथ उनकी 6 पुत्रियों का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु तहसीलदार खींवसर द्वारा नामान्तरकरण केवल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नोजी के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

बहस के दौरान उन्होनें यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार हजारीराम के देहान्त के पश्चात सभी वारिसान को कोई नोटिस या सूचना नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व नहीं दी गई एवं श्रीमती नोजी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 128 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1962 में से 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि का बेचान मूली देवी के हक में एवं 15 बीघा 7 बिस्वा भूमि का बेचान भूरी देवी के हक में श्रीमती नोजी द्वारा दिनांक 12–6–2007 को कर दिया गया। उक्त बेचान के दौरान श्रीमती नोजी द्वारा मौजूदा अपीलार्थीगण की सहमति से बेचाननामें पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये। मौजूदा अपीलार्थीगण को उक्त

बेचान करते समय श्रीमती नोजी देवी द्वारा कहा गया कि मैं अपने बंट की भूमि का बेचान कर रही हूं जिसमें आप लोगों के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी कर दो। श्रीमती नोजी के द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया गया है एवं शेष 30 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 4–1–2012 को श्री गणेशराम पुत्र श्री पीराराम जाट को कर दिया गया जो कि श्रीमती नोजी के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमि में सभी पुत्रियों का समान अधिकार है एवं श्रीमती नोजी ने सम्पूर्ण भूमि का बेचान विभिन्न पक्षकारों को कर कानूनी भूल की है। अतः तहसीलदार खींवसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 24–8–1998 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपने निर्णय के अंतिम पैरा में इस बात पर सहमति प्रकट की है कि यह सही है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पुत्रियों को भी अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार/हिस्सा प्राप्त होता है परन्तु जिला कलक्टर नागौर द्वारा इस आधार पर अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नहीं दिये कि पुत्रियों ने 2007 में श्रीमती नोजी द्वारा बेची गई भूमि में सहमति प्रकट की थी इसलिए अपीलार्थीगण को श्री हजारी की खातेदारी भूमि में से किसी प्रकार का अधिकार नहीं होना मानते हुए तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण को बहाल करने में कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात के संबंध में एक दावा घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में लम्बित है। इसलिए जिला कलक्टर नागौर द्वारा नामान्तरकरण की अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित करने में सार्थकता व्यक्त नहीं की है। जब नामान्तरकरण की कार्यवाही दिनांक 24–8–1998 के विरूद्ध अपील जिला कलक्टर नागौर के समक्ष विचाराधीन थी तो दावा बाद में प्रस्तुत किया गया है इसलिए दावे के विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण की अपील में सुनवाई की जा सकती थी। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–10–2012 निरस्त कर तहसीलदार खींवसर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 24–8–1998 को निरस्त कर अपीलार्थीगण के हक में नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण की सहमति से ही विवादित आराजियात का बेचान किया गया है। जिसमें उनके स्वयं के सहमति के हस्ताक्षर है। साथ ही उक्त प्रकरण बाबत न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खींवसर के यहां एक दावा घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त प्रकरण बाबत जब पक्षकारों के मध्य नियमित वाद लम्बित है जो वर्ष 1998 में पारित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

तहसीलदार, खींवसर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 24–8–1998 स्वीकृत करने एवं विवादित भूमि के बेचान पश्चात स्वीकृत नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही थी। अपीलार्थीगण शादीशुदा है एवं अपने ससुराल में निवास करती है इनका विवादित भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं बनता है । अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने आर.आर.टी 2012 I पेज 374 एवं आर.आर.टी 2011 II पेज 769 की नजीर प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि जब पक्षकारों के मध्य दावा लम्बित हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं चल सकती है।

जवाबबुल जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि तहसीलदार, खींवसर द्वारा राजस्व अभियान के दौरान विवादित भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जिसमें अपीलार्थीगण को न तो कोई नोटिस दिया गया एवं न ही सुनवाई की गई है। अतः तहसीलदार, खींवसर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार हजारीराम थे जिनकी मृत्यु पश्चात फौतगी का नामान्तरकरण तहसीलदार खींवसर द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती नोजी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1692 में से 15.7 बीघा भूमि मूली देवी को तथा 15.7 बीघा भूमि भूरी देवी के पक्ष में दिनांक 12–6–2007 को बेचान कर दी। तत्समय प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थीगण को बुलाकर अपने हिस्से की विवादित भूमि का बेचान करने एवं अपनी सहमति देने हेतु कहा था। अपीलार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र पर अपनी सहमति भी दी गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को पूर्व नामान्तरकरण एवं विक्रय के पश्चात तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 24–8–1998 की पूर्ण जानकारी थी।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि विवादित आराजियात के संबंध में एक दावा घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में लम्बित है, तो उसके निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें पक्षकारों के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है लिहाजा यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार कर यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर के यहां नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित होने से अपीलार्थीगण को इस नामान्तरकरण की अपील में उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03—10—2012 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03—10—2012 अन्तर्गत अपील संख्या 60/2012 बउनवान जमना देवी व अन्य बनाम नोजी व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.04.07 13:00:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: